14.16 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Matters Under Rule 377 may be treated as laid on the Table of the House. Now, we are taking up Discussion Under Rule 193.

Title: Need to provide compensation to the people whose lands have been acquired by Air Force in Hunmangarh district, Rajasthan- Laid.

श्री निहाल चंद चौहान (श्रीगंगानगर):अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रावतसर तहसील की लगभग 4700 एकड़ भूमि वायुसेना ने 1995 में अधिग्रहीत की, तब से लेकर आज तक पिछले 8 साल में राजस्थान सरकार वहां पर कोई भी विकास का काम नहीं कर रही है और तीन पंचायत मुख्यालय सहित सभी गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं हो रही व सरकार वहां पर कोई कृाक को स्वयं का मकान भी नहीं बनाने दे रही है। लोग बहुत परेशान हैं। अधिग्रहीत भूमि की अनुमानित लागत भी सरकार ने बनायी। लगभग 47000 एकड़ भूमि का मुआवजा एक अरब उनसठ करोड़ रूपया बना, जो गजट में भी छप गया है, वहां के लोग परेशान हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि तीनों पंचायत घाघुंसर, मोटेर, बनारस की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा केन्द्र सरकार तुरंत जारी कर वहां के लोगों को राहत दिलावे।

* Treated as laid on the Table.